संख्या-42/2017-2357 ई-2/तेरह-2017-142/2017

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 19 सितम्बर,2017

विषय:-शीरे के उठान/सम्भरण के लिये अनुपात शिथिलीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-43/दस-185(1)/शीरा नीति/शिथिलीकरण, दिनांक 06 सितम्बर,2017 तथा इस सम्बन्ध में दि0 15-9-2017 को अवस्थापना एवं औदयोगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में सम्पन्न शीरा विचलन समिति की बैठक के कार्यवृत्त पत्र संख्या-2267 ई-2/तेरह-2017-142/2017, दिनांक 18 सितम्बर,2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 06 सितम्बर,2017 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त अक्टूबर माह में गन्ने की पेराई आरम्भ होने से शीरा संचय हेतु चीनी मिलों के शीरा टैंक खाली कराये जाने के निमित्त अनारक्षित शीरे के उठान/बिक्री में सुगमता लाने के दृष्टिगत समस्त चीनी मिलों में नियमानुसार देय आरक्षित शीरे की मात्रा को रोककर शेष समस्त अनारक्षित शीरे के उठान एवं विक्रय हेतु शीरा नीति वर्ष 2016-17 में आरक्षित एवं अनारक्षित शीरे के मध्य निर्धारित निकासी अनुपात को शिथिल करने की एतद्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

कृपया तद्नुसार यथाशीघ्र आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(दीपक त्रिवेदी)
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in